रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02082022-237807
CG-DL-E-02082022-237807

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3447] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 2, 2022/श्रावण 11, 1944
No. 3447] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 2, 2022/SHRAVANA 11, 1944

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 2022

का.आ. 3612(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 67 के अनुसरण में निम्नलिखित घोषणा, जिसमें हरियाणा राज्य से राज्य सभा में उन दो सदस्यों के, जो अपनी पदावधि के अवसान पर तारीख 1 अगस्त, 2022 को निवृत्त हो गए हैं, स्थानों को भरने के लिए निर्वाचित अभ्यर्थियों के नाम अंतर्विष्ट हैं, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है :-

घोषणा

हरियाणा राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए निर्वाचन ।

"निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 84 के उपनियम (1) के खंड (क) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि -

1. श्री कृष्ण लाल पंवार **जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किए गए**
गांव व डाकखाना-मडलौडा जिला-पानीपत

2. श्री कार्तिक शर्मा, **निर्दलीय**
मकान नं118-.-ए, मॉडल टाउन,
तहसील अम्बाला जिला अम्बाला, हरियाणा

उस सदन में उन दो सदस्यों के, जो अपनी पदावधि के अवसान पर 1 अगस्त, 2022 को निवृत्त हो रहे हैं, स्थानों को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : हरियाणा विधान सभा सचिवालय,

विधान भवन, चण्डीगढ़

तारीख : 11 जून, 2022

ह.

(आर.के.नांदल)

रिटर्निंग आफिसर

हरियाणा विधान सभा के निर्वाचित

सदस्यों द्वारा राज्य सभा के द्विवार्षिक निर्वाचन के लिए

सचिव, हरियाणा विधान सभा चण्डीगढ़"

[फा. सं. एच11024./2/-2021वि2.]

दिवाकर सिंह, संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd August, 2022

S. O. 3612(E).—In pursuance of section 67 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the following declaration containing the name of the candidates elected to fill the seats in the Council of States from the State of Haryana of two members, who retired on 1st August, 2022, on the expiration of their term of office, is published for general information:-

Declaration

Election to the Council of States by the elected members of the Legislative Assembly of the State of Haryana.

"In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with clause (a) of sub-rule (1) of rule 84 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that -

1. Shri Krishan Lal Panwar, **Sponsored by Bhartiya Janata Party**
V&PO Madlauda, District Panipat.

2. Shri Kartik Sharma **Independent**
House No. 118A, Model Town, Tehsil
Ambala, District Ambala, Haryana

have been duly elected to fill the seats in that House of two members retiring on the 1st August, 2022 on the expiration of their term of office.

Place: Haryana Vidhan Sabha Secretariat,
Vidhan Bhawan, Chandigarh
Date: 11th June, 2022

Sd/-

(R.K. NANDAL)
RETURNING OFFICER
For Biennial Election to the Council of
States by the elected Members of the
Haryana Legislative Assembly and
Secretary, Haryana Legislative
Assembly, Chandigarh"

[F. No. H.11024/2/2021-Leg.II]
DIWAKAR SINGH, Jt. Secy. and Legislative Counsel

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 2022

का.आ. 3613 (अ),–लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 12 के अधीन जारी की गई अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2367(अ), तारीख 24 मई, 2022 के अनुसरण में, हरियाणा राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित राज्य सभा के दो सदस्यों के स्थानों को, जो दो सदस्यों की पदावधि के अवसान पर 01.08.2022 को निवृत्त होने पर रिक्त हो गए हैं, भरने के प्रयोजन के लिए निर्वाचन कराया गया है ।

अतः. अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 71 के अनुसरण में, राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित सदस्यों के नाम सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित किए जाते हैं :-

सदस्य का नाम	राज्य
कृष्ण लाल पंवार	हरियाणा
कार्तिक शर्मा	हरियाणा

[फा. सं. एच11024./2/-2021वि.]

दिवाकर सिंह, संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd August, 2022

S. O. 3613(E).—Whereas election has been held, in pursuance of notification number S.O.2367(E), dated the 24th May, 2022, issued under section 12 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), for the purpose of filling the seats of two members of the Council of States elected by the elected members of the Legislative Assembly of the State of Haryana which fell vacant on the retirement of two members on 01.08.2022, on the expiration of their term of office.

Now, therefore, in pursuance of section 71 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the name of the members elected by the elected members of the Legislative Assembly of the State are hereby notified for general information:-

Name of the Member	State
Krishan Lal Panwar	Haryana
Kartik Sharma	Haryana

[F. No. H.11024/2/2021-Leg.II]

DIWAKAR SINGH, Jt. Secy. and Legislative Counsel

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.08.02 10:29:51 +05'30'